न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 48/2010 – वाद
दायर दिनांक – 17/02/2010
निर्णय दिनांक – 29/08/2022

अनवान

1. माधवलाल पिता जीतू जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. रामलाल पिता हजारी जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
2. मु. कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
3. मु. प्यारी पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
4. मु. अणछी पिता पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
5. मु. धापू पिता पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
6. सांवरिया पिता रामलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी की ओर से :– श्री शान्तिलाल जाट, अधिवक्ता,
प्रतिवादी की ओर से :– श्री राकेश सनाढ्य, श्री परसराम जाट,
श्री जगदीश कुमावत, अधिवक्ता

दिनांक – 29/08/2022

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

– : निर्णय : –

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा कृषि

सहायक कलक्टर

भूमियां स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण व स्व. भुरा पिता हजारी जाट निवासीयान सिन्देसरकला के नाम पर दर्ज है किन्तु उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा वादी का है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। व वादी व प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार ही उपयोग उपभोग उक्त भूमियों का करते चले आ रहे है। भु प्रबन्ध विभाग की गलती से उक्त भूमियां मृतक भुरा पिता हजारी जाट व प्रतिवादीगण के नाम पर ही कर दी गई जो गलत है। वादी व प्रतिवादीगण का सजरा वादपत्र में अंकित है। वर्तमान आराजी संख्या 758 रकबा 01–15 बीघा के गत भू माप के आराजी संख्या 439 रकबा 01–10 बीघा व वर्तमान आराजी संख्या 1037 रकबा 04–15 बीघा के गत भू माप के आराजी संख्या 468/1 रकबा 02–06 बीघा व 468/2 रकबा 01–12 बीघा थे। प्रमाण में भू प्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा प्रस्तुत है। उक्त आराजियात गत भू माप के मृतक भुरा, किसना व प्रतिवादी संख्या 01 राम पिता हजारी 1/2 के नाम हिस्से के अनुसार दर्ज थी। प्रमाण में गत भू माप की जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत है किन्तु वर्तमान भू माप में वादी के पिता स्व. जीतु का नाम दर्ज उक्त आराजियात में नही किया गया जिससे वर्तमान आराजी संख्या 758 व 1037 में वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हो सका वादी के पिता जीतु का स्वर्गवास गत पेमाईश के बाद अर्थात आज से 25 वर्ष पुर्व हुआ था। जिससे भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व ईन्द्राज को ही दोहराना चाहिये था किन्तु अपने मन मकसुद तरीके से पूर्व के इन्द्राज को नही दोहराकर वादी के पिता स्व. जीतु का नाम उक्त आराजीयात में से हटा दिया गया जिससे वादी का नाम उक्त आराजियात में राजस्व अभिलेख में अंकित नही हुआ वादी वर्तमान आराजी संख्या 758, 1037 के सम्पूर्ण रकबे के 1/2 भाग का हक व अधिकार रखता है मौके पर इसी प्रकार आधिपत्य है किन्तु राजस्व विभाग की गलती से वादी का नाम राजस्व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अभिलेख मे इन्द्राज नही होने से वादी को उक्त आराजीया में 1/2 अपने हक की घोषणा करवाने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने हक बाबत् स्वत्व घोषणा का वाद लाया जाकर राजस्व अभिलेख में अपना हक दर्ज करवा सके इस बाबत् वादी का यह वादपत्र पेश है। वादी व प्रतिवादी की अन्य आराजियात ग्राम सिन्देसरकला में स्थित है जिसके खाता संख्या 366 है। इस खाता संख्या में समस्त भूमियों में भी वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत है। आराजी संख्या 758 व 1037 के अपने 1/2 हिस्से अनुसार वादी उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग कर रहा है व हिस्से अनुसार लगान भी जमा कराता आ रहा है किन्तु वादी को जब बैंक से लोन लेना था इसमें अपने भूमियों की जमाबन्दी की नकलें लेने पटवारी हल्का के पास वादी गया व उक्त भूमियों की नकल भी देने को कहा तो पटवारी हल्का से पता चला कि उक्त भूमियों में वादी का नाम दर्ज नही है इस पर पता चलते ही वादी प्रतिवादीगण के पास गया व कहॉ कि उक्त आराजियात में मेरा नाम नही है जो गलत है। इस पर प्रतिवादीगण ने वादी को आश्वासन दिया कि तुम्हारा नाम लगवा देगें तुम चिन्ता मत करों यह बात आज से 01 माह पूर्व की है। इस पर वादी दिनांक 30/07/2004 का पुनः प्रतिवादीगण के पास जाकर उक्त दोनों आराजियात में अपना हिस्सा दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा इन भूमियों में 1/2 हिस्से पर कब्जा तुम्हारा है लेकिन नाम पर हमारे हाने से अब भूमियों में तुम्हारा नाम नही लगवाएगें व हमउ क्त भूमियों पर जो तुम्हारा कब्जा है वह हम हटवायेगें जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्व स्वत्व घोषणा का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया जाकर उन्हे गलत कृत्य करने से रोका जा सकें इस निमित्त यह वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण वादी को अगर अपने ताकत के बल पर उक्त आराजियात से

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बेदखल कर देगें तो वादी को अपूरर्णीय क्षतिकारित होगी जिसकी पूर्ति नकदी में संभव नही होगी व अनाश्यक मुकदमें बाजी बढेगी जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबन्धित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण केवल मात्र राजस्व विभाग की गलती का लाभ उठाना चाहते है। जिनका उन्हे कोई अधिकार नही है क्यों कि केवल मात्र राजस्व विभाग की त्रुटि से ही वादी का नाम उक्त भूमियों में दर्ज होने से रह गया है। बल्कि वादी उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा हक का खातेदार कृषक है। प्रतिवादीगण खुलम खुला रूप से जान रहे है कि वादी का उक्त भूमियों में 1/2 भाग पर आधिपत्य वादी के पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। जिसको प्रतिवादीगण अच्छी तरह से जान रहे है वैसे भी उक्त भूमियों पर 1/2 भाग पर वादीगण का 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आने से वादी को उक्त भूमियों के 1/2 भाग का कब्जा मुखलफाना भी परिपक्व हो चुका है जिसको बेदखल करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वादी का वाद हेतु जब पटवारी हल्का से उक्त भूमियों में नाम नही होने का पता आज से 01 माह पूर्व चला व अन्तिम बार दिनांक 30/07/2004 को प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमियों में वादी का नाम अपने हिस्से का लगवाने से मना कर दिया तब से वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की प्रारम्भिक व अन्तिम डिकी जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख में आराजी संख्या 758 व 1037 में 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज फरमाया जावें वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात पर जो 1/2 भाग पर वादी का आधिपत्य है उससे प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नोकर–चाकर व एजेन्ट, परिवारजन आदि उसे बेदखल नही करें इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबन्धित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से लगायत 05 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण में वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 01 व दिगर प्रतिवादीगण तथा स्वर्गीय भुरा जाट निवासी सिन्देसर कला के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है दिगर इबारत गलत होकर अस्वीकार है वादी का उपरोक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा कदापि नही था क्यों कि उक्त आराजियात पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्वर्गीय हजारी वल्द एकलिंग जाट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी उक्त आराजीयात हजारी के पिता एकलिंग के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित नही थी, जिस कारण वादी उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार से आधे हिस्से का हकदार नही है। वादी सारे कथानक मिथ्या एवं मनमकसुद वर्णित किये है। दावा ही निरस्त योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण में सजरा वादी द्वारा अधुरा प्रस्तुत किया है हजारी को जायन्दा पुत्रीयों का वर्णन उक्त सजरे में कही अंकित नही किया है जबकि हजारी के दो जायन्दा पुत्रीयां होकर उनके नाम झमकु व लेहरी होकर वर्तमान में जीवित है। जिससे भी दावा खारिज होने योग्य है तथा भुरा लाऔलाद फौत हुआ है परन्तु उसने अपनी जिविता अवस्था में ही श्री सांवरिया पिता रामलाल को अपनी चल–अचल जायदाद के जरिये वसीयत की है। जिससे वह भी इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। वादपत्र

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की कलम संख्या 04 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में दर्शाया गया है उस रूप में स्वीकार नही है। आराजी संख्या 758 व 1037 प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के नाम पर गत भू माप से चली आ रही है, उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 01 व व स्वर्गीय भुरा किशनलाल के नाम होकर इसी अनुसार इनकी मृत्यु के बाद इनके वारिसान के नाम पर चली आ रही है, वादी उक्त दोनो आराजी में किसी प्रकार का हिस्सा नही रखता है, जिससे यह राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर आधा भाग अंकन कराने का हकदार नही है। जिससे वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है, वादी ने सारे कथानक अपने मनमकसुद तरीके से वर्णित किये है जब रेकार्डेड खातेदार ही प्रतिवादीगण है तो लगान किस आधार पर वह जमा करा रहा है जबकि कानूनन नियम यह है कि लगान खातेदार कृषक ही जमा करवाते है, वादी अपने धनबल एवं भुजबल के आधार पर उक्त आराजियात लेना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है, वादी का वाद ही खारिज होने योग्य है तथा न ही वादी को प्रतिवादीगण ने कभी आधा हिस्सा होने की बात कही है सारे कथानक वादी ने मिथ्या वर्णित किये है, वादी किसी प्रकार से उक्त आराजियात पर अपना स्वत्व घोषित करा सकता है तथा न ही वह प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा ही प्राप्त कर सकता है। वादी का वाद ही निरस्त होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी का उपरोक्त आराजियात में जब हिस्सा ही नही है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा न ही वादी को किसी प्रकार से कोई अपूरर्णीय क्षति कारित होने वाली है, वादी प्रतिवादीगण के मुकाबलें स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जाने का अधिकारी नही है। राजस्व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रेकार्ड में जो इन्द्राज होता है वह योग्य सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा पूर्व में विवादग्रस्त आराजियात हजारी के नाम पर अंकित थी एवं उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई है वादी का वाद खारिज होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी का कोई हक अधिकार वादग्रस्त जायदाद में नही है। वादी उक्त वादपत्र के जरिये जबरन कब्जा लेना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनन अधिकार नही है। न ही वादी का उपरोक्त आराजियात में कब्जा मुखालफाना ही हुआ है क्यों कि वादी का उपरोक्त वाद में वादग्रस्त जायदाद में इंच मात्र भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, वादी ने सारे कथन मन–मकसुद एवं मिथ्या वर्णित किये है। वादपत्र की कलम संख्या 10 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। वादपत्र की कलम संख्या 11 व 12 का विवरण कानूनी होकर जांच से सम्बन्धित है। वादी की प्रार्थना मिथ्या है। वादी किसी प्रकार से वादग्रस्त जायदाद में हिस्सा लेने हेतु स्वत्व घोषित नही करा सकता है तथा न ही प्रतिवादीगण के मकाबले स्थाई निषेधाज्ञा ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमया जावें।

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 ने जरिये अधिवक्ता जवाब मय प्रतिपवाद के प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादी का कोई हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 01 रामलाल का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 का 1/3 हिस्सा तथा मृतक भुरालाल पिता हजारी जाट का 1/3 हिस्सा था जो उसने अपने जीवनकाल में सांवरिया को वसीयत

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

करवानें से प्रतिवादी संख्या 06 सांवरिया का 1/3 हिस्सा है। वादपत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी ने भुरा के द्वारा सांवरिया को वसीयत किया जाना अंकित नही किया है। वादपत्र की कलम संख्या 04 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 07 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमियों में वादी उपयोग उपभोग न कर प्रतिवादी संख्या 06 व अन्य प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग कर रहे है, वादी ने प्रतिवादी की कभी भूमियॉ अपने नाम पर करान के लिये नही कहा और न ही प्रतिवादी ने वादी को कोइ नाम पर कराने का आश्वासन दिया। वादपत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी का वादग्रस्त भूमियों में कोई कब्जा मुखालफाना परिपक्व नही हुआ है। वादपत्र की कलम संख्या 10 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। वादी का कोई हेतुक उत्पन्न नही हुआ। वादपत्र की कलम संख्या 11 व 12 का विवरण काननी होकर जांच से संबंधित है। प्रार्थना वादी की मिथ्या, मनगढन्त होने से कोई दाद न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 06 ने प्रतिपवाद स्वत्व घोषणा के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। प्रतिपवाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियां मौरूसी होकर सजरा प्रतिवादपत्र में अंकित है। प्रतिवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां स्वर्गीय हजारी की थी हजारी की मृत्यु पश्चात् उसके तीनों वारिसान को समान

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हक अधिकार प्राप्त हो गये। जिससे भुरा का 1/3 हिस्सा रामा का 1/3 हिस्सा तथा किशनलाल का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित था इसी हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग किया जा रहा था। भुरा अविवाहित था भुरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10/12/1998 को चार स्वतंत्र सक्षम साक्षियों के समक्ष अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्तियों की वसीयत प्रतिवादी सांवरिया के पक्ष में निष्पादित कर दी थी तथा किशनलाल की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी। जिससे उसके हिस्से की भूमियां प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 05 के नाम विरासत से आ चुकी थी। भुरा की भी दिनांक 16/12/1998 को मृत्यु हो गई जिससे स्वर्गीय भुरा के द्वारा दिनांक 10/12/1998 को निष्पादित की गई वसीयत प्रभाव में आ जाने से स्वर्गीय भुरा के हिस्से की वादग्रस्त भूमियॉ प्रतिवादी सांवरिया के नाम पर होनी चाहिये थी परन्तु राजस्व अधिकारियों की जल्दबाजी व अन्य प्रतिवादीगण की मिलीभगत से भुरा के हिस्से की वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04, 05 के पक्ष में समान हिस्से से निर्णित करवा दिया है जो त्रुटिपूर्ण है तथा प्रतिवादी सांवरिया ने अपने नाम पर स्वर्गीय भुरा के खातेदारी भूमियॉ अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में वसीयत के आधार पर घोषणा कराने का अधिकारी है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 05 तथा प्रतिवादी संख्या 06 सांवरिया का समान हिस्सा 1/3 है एवं इसी हिस्सेनुसार भूमियों का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जिससे सांवरियॉ वादग्रस्त भूमियों में अपना 1/3 राजस्व रेकार्ड में खातेदारी घोषणा हेतु प्रतिपवादपत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04, 05 ने एक वाद संख्या 213/2010 रे.वाद स्वत्व, घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसकी जानकारी प्रतिवादी सांवरिया को होने पर उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो आप

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उस प्रकरण में प्रतिवादी सांवरिया द्वारा जवाब व अपना प्रतिपवाद पत्र पेश किया गया परन्तु उस प्रकरण में वादी माधुलाल द्वारा आराजी संख्या 758 व 1037 के वाद को इस वाद के चलने के कारण रोके जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे आप न्यायालय द्वारा वाद संख्या 213/2010 रें.वाद में आराजी संख्या 758, 1037 का वाद रोका जाकर प्रतिवादी सांवरिया को इस प्रकरण संख्या 48/2010 रें.वाद में पक्षकार बनाये जाने से इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से प्रतिपवाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सांवरिया का प्रतिपवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी सांवरिया के नाम 1/3 हिस्से की घोषणा की डिक्री फरमायी जावें तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से प्रस्तुत प्रतिपवाद का अधिवक्ता वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण स्वीकार है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है, सजरा केवल हजारी का ही प्रस्तुत किया गया है जो अपूर्ण है हजारी का भाई जीतु था जो दोनों एकलिंग की संताने है व जीतु के वादी पुत्र है। सही सजरा वादी ने अपने वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कर रखा है। उक्त वाद में वादी माधुलाल का 1/2 हिस्सा है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया गया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों अकेले स्वर्गीय हजारी की नही थी बल्कि हजारी व जीतु दोनों की आधी आधी थी जो इनको इनके पिताजी एकलिंग जी से प्राप्त हुई। एकलिंग जी की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमियों में 1/2 हिस्सा हजारी को व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

1/2 हिस्सा जीतु को प्राप्त हुआ व हजारी का हिस्सा इनके वारिसों को भूरा, रामा, किशनलाल को व जीतु का हिस्सा वादी को प्राप्त हुआ है अर्थात् उक्त भूमियों में 1/6 हिस्सा भूरा, 1/6 हिस्सा रामा, 1/6 हिस्सा किशनलाल को व 1/2 हिस्सा माधुलाल को प्राप्त हुआ है, भूरा, रामा, हजारी का 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त नही हुआ है व उपयोग उपभोग भी 1/2 हिस्से का हजारी के वारिस व 1/2 हिस्सा वादी माधुलाल करता चला आ रहा है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है, वसीयत से वादी को कोई लेना देना नही है, वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी सांवरिया का 1/3 हिस्सा नही है, न ही प्रतिवादी रामा का 1/3 हिस्सा है, न ही किशनलाल के वारिसों का 1/3 हिस्सा है बल्कि आराजी संख्या 758 व 1037 में 1/2 हिस्सा वादी माधुलाल का है व 1/6 हिस्सा भूरा, 1/6 हिस्सा रामा, 1/6 हिस्सा किशनलाल के वारिसों का है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण का जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 06 प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 06 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है, मुल्याकंन कम कायम किया है, वर्ष 2004 में 100000 की मालियत की भूमियॉ की 2013 में ज्यादा बढ गई है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण कानुनी है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है इस तरह की सहायता प्रतिवादी सांवरिया प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सांवरिया ने मनगढन्त कहानी बनाकर झुठा प्रतिपवाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सांवरिया का प्रतिपवाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, प्रतिपवाद एवं जवाब प्रतिपवाद के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गई :–

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1. आया वादी आराजी संख्या 758 व 1037 में 1/2 हिस्से के खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। जिम्में वादी
2. आया वादी इनके 1/2 हिस्से के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्में वादी
3. आया वादी ने हजारी की पुत्रियों तथा सांवरिया पिता रामलाल को पक्षकार नही बनाया है, जो कि आवश्यक पक्षकार है। अतः दावा खारिज होने योग्य है। जिम्में प्रतिवादी
4. दादरसी क्या होगी?
5. आया प्रतिवादी संख्या 06 मृतक भुरा के हिस्से की भूमियॉ प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्में प्रतिवादी संख्या 06

वादी अधिवक्ता ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 माधुलाल जाट का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नयी 306 व पुरानी 238 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, जमाबन्दी नयी 366 व पुरानी 253.1 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, खेवट खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04, सेटलमेन्ट विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05 व 06 के प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त साक्ष्य का अवसर दिया जाने पर भी प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादी के साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1. तनकी संख्या 01 जिम्में वादी होकर वादी ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 माधुलाल जाट का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नयी 306 व पुरानी 238 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, जमाबन्दी नयी 366 व पुरानी 253.1 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, खेवट खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04, सेटलमेन्ट विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–05 व 06 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली के अवलोकन करने पर जाहिर आया कि खेवट खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 में वादग्रस्त आराजियात 758 साबिक आराजी संख्या 439 व 1037 साबिक आराजी संख्या 468/1 व 468/2 में वादी के पिता जीतु का नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहा है। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. तनकी संख्या 02 जिम्में वादी होकर तनकी संख्या 01 के अनुसरण में वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहा है। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के जिम्में होकर प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।
4. अनुतोष।
5. उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 06 के जिम्में होकर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 के जवाब दावा, प्रतिपवाद एवं प्रतिवाद के जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं तनकी संख्या 01 के अनुसार उक्त

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/3 हिस्सा नही होकर 1/6 हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 06 अपनी उक्त तनकी को आंशिक सिद्व करने में सफल रहा है। जिससे उक्त तनकी आंशिक 1/6 हिस्सा तक प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 06 का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा में से 1/6 हिस्से का खातेदार, काश्तकार प्रतिवादी संख्या 06 को घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मनसुख राम डामोर आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2010

अनवान

1. माधवलाल पिता जीतू जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. रामलाल पिता हजारी जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
2. मु. कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
3. मु. प्यारी पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
4. मु. अणछी पिता पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
5. मु. धापू पिता पिता किशनलाल जाट नाबालिग बविलायत माता कमला बेवा किशनलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा
6. सांवरिया पिता रामलाल जाट निवासी सिन्देसर कला, तह0 रेलमगरा

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :– श्री शान्तिलाल जाट, अधिवक्ता,
प्रतिवादी की ओर से :– श्री राकेश सनाढ्य, श्री परसराम जाट,
श्री जगदीश कुमावत, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 29 / 08 / 2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा में से 1 / 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 06 का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसर कला तहसील रेलमगरा में खाता संख्या 306 की

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आराजी संख्या 758, 1037 कुल किता–02 कुल रकबा 06–10 बीघा में से 1/6 हिस्से का खातेदार, काश्तकार प्रतिवादी संख्या 06 को घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 29/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा